Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-C-A(3)-2/2024 dated as required under clause(3) of article 348).

#### Government of Himachal Pradesh Elementary Education Department

No. EDN-C-A(3)-2/2024

Dated: Shimla-02, the

10th October, 2024

#### **NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment and Promotion Rules for the post of Special Educator(For Class-VI to Class-XII), Group-C(Non-Gazetted) in the Department of Elementary Education, Himachal Pradesh, as per Annexure-'A' appended to this notification namely:-

Short title and Commencement

- (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Elementary Education Department, Special Educator(For Class-VI to Class-XII), Group-C, (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2024.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra(e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order

Rakesh Kanwar Secretary(Education) to the Government of Himachal Pradesh 10<sup>th</sup> October, 2024.

No. No. EDN-C-A(3)-2/2024 Dated: Shimla -02, the Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-02.

- 2.The Director of Elementary Education HP Shimla with request to upload the same on departmental website.
- 3. The Secretary, HP Public Service Commission Shimla-02.

1

- 4. The Secretary, HP Rajya Chayan Ayog, Hamirpur, Distt. Hamirpur, HP.
- 5. The JLR-cum-Joint Secretary (Law), H.P. Secretariat, Shimla-2.
- 6. The Controller, Printing & Stationery, H.P. Govt. Press, Shimla-5.

7. Guard file.

(Sunil Verma) ducation) to the

Joint Secretary (Education) to the Government of Himachal Pradesh

0177-2626450

## RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SPECIAL EDUATOR( FOR CLASS-VI TO CLASS-XII), GROUP-C (NON-GAZATTED) IN THE DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION, HIMACHAL PRADESH

1	Name of post	Special Educator (For Class-VI to Class-XII)
2	Number of Post(s)	107(One hundred seven)
3	Classification	Group-C
4	Scale of Pay (Be given in expanded notation)	<ul><li>(i) Pay Band for regular incumbent(s):</li><li>"Level 10 of pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services(Revised Pay) Rules, 2022".</li></ul>
		(ii) Pay Band for contractual incumbent(s):  "60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per H.P. Civil
		Services(Revised Pay) Rules, 2022"
5	Whether selection post or Non selection post	Non-Selection
6	Age for direct recruitment	Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of Government including those who have been appointed on adhoc basis or on contract basis:  Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her ad-hoc or contract appointment:  Provided further that the upper age limit is relaxable for Scheduled Castes /Scheduled Tribe/Other Backward classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:  Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial

Gurls

be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public sector Corporations / Autonomous Bodies who were / are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial Constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Note: Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

## 7 Educational Qualifications

#### (a) ESSENTIAL QUALIFICATION:-

- (i) Graduation in any stream from a recognized University with at least 50% marks.
- (ii) Bachelor of Education Degree (Special Education) from a Rehabilitation Council of India(RCI) approved institution possess a valid RCI & CRR number.

#### OR

B.Ed. with a recognized qualification(Certificate/Diploma) from a Rehabilitation Council of India(RCI) approved institution possess a valid RCI & CRR number.

(iii) Six-month training of teaching in cross disability area in inclusive education(\*\*).

#### AND

- (iv) Pass in Teacher Eligibility Test (TET) duly conducted by H.P. Board of School Education Dharamshala, District Kangra or any other Agency authorized by the Government.
- (\*\*) If the proposed programme(cross disability/top up courses being developed by RCI as on in service training is not available same may be dropped from the qualification with a condition that those recruited with D.Ed./B.ED. Special Education have to compulsory

June

		undergo aforesaid training as soon as same is conducted.
		Note: A candidate must have passed Matriculation and 10+2 from any School/Institution situated within Himachal Pradesh.
		Provided this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.
		(b) <u>DESIRABLE QUALIFICATION(s)</u> :
	7	Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8	Whether age and Educational qualification	Age: Not Applicable Educational qualification(s): Not Applicable
	prescribed for direct	
	recruits will apply in the case of promotees.	
9		1.Direct Recruitment:-
,	Period of probation, if any	1.Direct Recruitment:-
		(a) Two years subject to such further extension for a period
	* ,	not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
	×	(b) No probation in case of appointment on contract basis.
		2. Promotion:-Not Applicable
10	Method(s) of recruitment whether by direct	100% by direct recruitment, on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
	recruitment or by	
	promotion/ æcondment/transfer	
	and percentage of	
	posts to be filled in by various	
	methods.	
11	In case of	Not Applicable
	recruitment by	
	promotion/ Secondment/	
	transfer, grade(s)	

Jung

	from which	The state of the s
	promotion/	
	Secondment/ transfer	
13	is to be made.	(i) Donostra outol Donos eties Committee
12	If a Departmental	(i) <u>Departmental Promotion Committee:</u>
	Promotion committee	NI 4 A . I' . 1.1
	exists. What is its Composition.	Not Applicable
	Composition.	(ii) <u>Departmental Confirmation Committee:</u>
		As may be constituted by Covernment from time
		As may be constituted by Government from time to time.
13	Circumstances under	to time.
13	which the Himachal	
	Pradesh Public	As required under the law.
	Service Fublic	115 required under the law.
	Commission(H.P.P.S.	and the state of t
	C) is to be consulted	
	in making	
	recruitment.	and the second s
14	Essential requirement	A candidate for appointment to any service or post must be a
	for a direct	citizen of India.
	recruitment:	TO SERVICE OF A SERVICE OF THE SERVI
15	Selection for	Selection for appointment to the post in case of direct
13850	appointment to the	recruitment shall be made on the basis of merit of written
	post by direct	examination and/ or practical test or skill test or physical
	recruitment.	test, the standard/syllabus etc. will be determined by the
		Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal
		Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting agency/
		authority, as the case may be.
15 -	Selection for	Notwithstanding anything contained in these rules, contract
A	appointment to the	appointment to the post will be made subject to the terms and
	post by contract recruitment.	conditions given below:-
	i cei uniment.	(D. CONCEPT.
0		(I) <u>CONCEPT:</u>
		(a) Under this policy, the Special Educator(For Class-VI
		to Class-XII) in the Department of Elementary
		Education Himachal Pradesh will be engaged on
		contract basis initially for one year; which may be
		extendable on year to year basis:
7		
2		Provided that for further extension/renewal of
		contract period on year to year basis the concerned
		HOD shall issue a certificate that the service and
		conduct of the contract appointee is satisfactory during
		the year and only then his/her period of contract is to
		be renewed/extended.

lives

# (b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HIMACHAL PRADESH RAJYA CHAYAN AAYOG (HPRCA)/OTHER RECRUITING AGENCY:-

The Director, Elementary Education, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting Agency/authority, as the case may be.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility condition prescribed in these rules.

#### (II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:-

The Special Educator(For Class-VI to Class-XII) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ 22,860/-PM(which shall be 60% of the first cell of the applicable level of the pay Matrix of the corresponding cadre).

#### (III) APPOINING/ DISCIPILANARY AUTHORITY:-

The Director, Elementary Education, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

#### (IV) SELECTION PROCESS:-

### (a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RECRUITING AGENCY:

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of merit of written examination and/ or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus etc. will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission\Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting agency/authority, as the case may be.

### (V) <u>COMMITTEE</u> FOR <u>SELECTION</u> <u>OF</u> CONTRACTUAL APPOINMENTS:-

(a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RECRUITING AGENCY:-

ling

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog /other recruiting agency, from time to time.

#### (VI) AGREEMENT:-

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per **Annexure-"B**" appended to these rules.

#### (VII) TERMS AND CONDITIONS:-

- (a) The Special Educator(For Class-VI to Class-XII) will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 22,860/- PM (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of the pay Matrix of the corresponding cadre)
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
- (c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 day' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and

Jures

special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- (e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- **(f)** Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of 'twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abevance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

June

		(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
		(h) Provisions of service rules like FR-SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
16	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental	Not applicable
	Examination	
18	Power to Relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

\*\*\*

(Sunil Verma)

Joint Secretary(Education) to the Government of Himachal Pradesh

0177-2626450

Form of contract/ agreement to be executed between the Special Educator (for Class-VI to Class-XII) (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through Director of Elementary Education. (Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this	day of	in the
year between Sh./Smt.	S/O Shri	R/C
	Contract appointee (	hereinafter called the
FRIST PARTY), AND The Governor of Himacha	l Pradesh through D	Director of Elementary
Education (Designation of the Appointing	Authority)/Head of	the Institution i.e
Principal/Headmaster (here-in-after the SECOND P	ARTY). Whereas, the	SECOND PARTY has
engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIR	ST PARTY has agreed	to serve as a Trained
Graduate Teacher (Name of the post) on contract bas	sis on the following tern	ns & conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the s	service of the SECOND	PARTY as a Special
Educator(for Class-VI to Class-XII) ( Name of the		
day of and ending on the day		
and agreed upon by both the parties that the cont		
PARTY shall ipso-facto stand terminated		
And information/ notice shall r	not be necessary:	
Provided that for extension/renewal of contract pe	eriod on year to year b	asis the Head of the
Institution shall issue a certificate that the service	and conduct of the cor	ntract appointee was
satisfactory during the year and only then	his/her period of	contract is to be
renewed/extended.		

- 2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 22,860/- per month (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).
- 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
- 4. Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 day' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

Junes

- 5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government. However, contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- **6.** An official appointed n contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.
- 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
- **8.** Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required, to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official.
- 9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

Luves

(Name and full Address)

#### हिमाचल प्रदेश सरकार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

संख्या ईडीएन-सी-ए(3)-2/2024

तारीखः शिमला-2,

10 अक्तूबर, 2024

#### अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक (कक्षा—vi से कक्षा —xii के लिए), ग्रुप—सी (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षक (कक्षा—vi से कक्षा—xii के लिए), ग्रुप—सी (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 है।
  - (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

राकेश कंवर सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार। 10 अक्तूबर, 2024

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। दिनांकः शिमला-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतू प्रेषित :-

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02।
- 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश शिमला-1।
- 3. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला–02 ।
- 4. सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ।
- 5. अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02 ।
- 6. संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि-राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि-राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार।
- सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि—राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 9. वरिष्ठ विधि अधिकारी विधि विभाग (राजभाषा खण्ड), हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2 ।
- 10. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 ।
- 11. गार्ड फाईल ।

(सुनिल वर्मा) संयुक्त सचिव (शिक्षा)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

के लिए), ग्रुप-सी हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक (कक्षा–vı से कक्षा–xıı (अराजपत्रित)के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1.	पद का नाम	विशेष शिक्षक (कक्षा-VI से कक्षा-XII के लिए)
2.	पद (पदों) की संख्या	107 (एक सौ सात)
33	वर्गीकरण	ग्रुप —सी
4.	वेतनमान	(i) नियमित पदधारी (पदधारियो ) के लिए वेतनमानः
,		"हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान से संलग्न पे–मैट्रिक्स का स्तर 10" ।
		(ii) संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियो ) के लिए उपलब्धियां :
		हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे–मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का साठ प्रतिशत।
5.	"चयन" पद अथवा "अचयन" पद	अचयन
9	सीधी भर्ती के लिए आयु	18 से 45 वर्षः
		परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:
		परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के
		कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा; परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनसचित जनजातियों/अन्य पिछडा वर्गों और व्यक्तियों के
		अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :
		परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों जुला सुनान निकामों के मारिकाक गटन के समग्र पेसे पब्लिक सेक्टर
		तथा स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी
		पत्ना सरकारा कुनमारिया का जनुशन है। रेगा रियायक, राजान पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायक्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को
		अनुजय नहा हागा जा तत्परचात् एस ानगना/ स्वायत्त ानकाया द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/क्लागन निकागों के पानमिक्त गतन के पश्चात ऐसे
		أبالمعد به المال بهداعالا به المالهدا

Rank

		निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।
	x	टिप्पणः सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
7,	शैक्षिक अर्हताएं	(क) <b>शैक्षिक अर्हताएं:</b> — (1) विशेष शिक्षक (कक्षा—VI से कक्षा—XII के लिए):—
		(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम पचास प्रतिशत अंकों सहित किसी भी विषय में स्नातक हो।
		(ii) भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से (विशेष शिक्षा) शिक्षा रनातक(बी०एड०) और एक विधिमान्य भारतीय पुनर्वास परिषद तथा केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर संख्या हो।
		या
		भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से मान्यता प्राप्त अर्हता (प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा) सहित शिक्षा स्नातक (बी०एड०) और एक विधिमान्य भारतीय पुनर्वास परिषद तथा केंद्रीय पुनर्वास रिजस्टर संख्या हो।
		(iii) समावेशी शिक्षा में क्रॉस डिसेबिलिटी क्षेत्र में अध्यापन छह मास का प्रशिक्षण (**)। और
		(iv) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, जिला कांगडा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा सम्यक रूप से संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी० ई० टी०) में उत्तीर्ण हो।
		(**) यदि भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विकसित किए जा रहे प्रस्तावित कार्यक्रम ( क्रॉस डिसेबिलिटी / टॉप अप पाठ्यक्रम) सेवारत प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं हो तो उन्हें इस शर्त के साथ अर्हता से हटाया जा सकेगा कि प्रारम्भिक शिक्षा पाठ्यक्रम में डिप्लोमा (प्रा०शि०डि०) / शिक्षा स्नातक (बी०एड०) विशेष शिक्षा सहित भर्ती अभ्यर्थीयों को उपरोक्त प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करना होगा जितना शीघ्र उससे संचालित किया जाता है।
		टिप्पण :— अभ्यर्थी ने दसवीं और दस जमा दो की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से उतीर्ण की होः परन्तु यह शर्त हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासियों को लागू नहीं होगी।
- 41		(ख) वाँछनीय अर्हता (अर्हतांए):
		हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

Swer

0	मीरो भूमी किए जारे	2111 ·
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के	आयु ः लागू नहीं ।
	लिए विहित आयु और	
	शिक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत	शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) : लागू नहीं ।
	व्यक्ति(व्यक्तियों) की दशा	
0	में लागू होंगी या नहीं: परिवीक्षा की अवधि, यदि	A Amh ar ff
9	कोई हो:	1 सीधी भर्ती :
	काइ हा.	(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसे सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें। (ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा लागू नहीं होगी।
		२ <u>प्रोन्निती</u> ः लागू नहीं ।
10	भर्ती की पद्धतिः भर्ती	
	सीधी होगी या प्रोन्नति/	संविदा के आधार पर ।
	सैंकेण्डमैण्ट /	
	स्थानान्तरण द्वारा और	
	विभिन्न पद्धतियों	
	द्वारा भरे जाने वाले पद	ii)
	(पदों) की प्रतिशतताः	
11	प्रोन्नति, सैकेण्डमैण्ट/	न्नाग नहीं ।
111	स्थानान्तरण द्वारा	लागू नहीं ।
	भर्ती की दशा में वे	
	श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे	
	प्रोन्नति / सैकेण्डमैण्ट	r.
	/स्थानान्तरण किया	
	जाएगाः	
12	यदि विभागीय प्रोन्नति	(i) विभागीय प्रोन्नति समितिः
	समिति / विभागीय	
	स्थायीकरण समिति	लागू नहीं ।
	विद्यमान हो, तो उसकी	
	संरचनाः	(ii) विभागीय स्थायीकरण समिति
		जैसी सरकार द्वारा समय—समय पर गठित की जाएगी।
13	भर्ती करने में जिन	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
	परिस्थितियों में	
	हिमाचल प्रदेश लोक सेवा	
	आयोग से	
200	परामर्श किया जाएगा	
14	सीधी भर्ती के लिए	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक
4-	अनिवार्य अपेक्षाः	होना अनिवार्य है।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित
1 X 3	नियुक्ति के लिए चयनः	परीक्षा के गुणागुण और / या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका
		शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका

UN

		स्तर/पाठयक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा
		आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया
		जाएगा।
15—क	संविदा नियुक्ति, द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :- (I) संकल्पनाः
	5 4	(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा
		विभाग में विशेष शिक्षक (कक्षा—vi से कक्षा—xii के लिए),
		ग्रुप—सी (अराजपत्रित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढाया जा सकेगाः
		परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर
		विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह
	^	प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है
		और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि
	, .	नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।
		(ख) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के कार्यक्षेत्र में आनाः
	2	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों
		को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का
		अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य
		भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण, के समक्ष रखेगा।
		(ग) पद के चयन हेतु अभ्यार्थी को भर्ती और प्रोन्नति में यथाविहित अर्हता और पात्रता को पूरा करना होगा ।
	9	(II) <u>संविदात्मक उपलब्धियां :</u>
w		संविदा के आधार पर नियुक्त विशेष शिक्षक (कक्षा—v। से कक्षा—x।। के लिए), को ₹ 22,860 / — की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम( जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स
		के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी ।
		(III) <u>नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारीः</u>
	* c	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
	15	(IV) <u>चयन प्रकियाः</u>
	·	(क) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आने हेतु:—
		संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन
		लिखित परीक्षा के गुणागुण और / या व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया
	2	200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Surez

जाएगा जिसका स्तर/पाठयकम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण /प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

- (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः
- (क)पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के कार्य क्षेत्र मे आना:–

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा समय–समय पर गितत की जाए ।

(VI) करारः

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

- (VII) निबन्धन और शतैं:
- (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 22,860/— की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम(जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी ।
- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रदित्त की गई है, से पैतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
- के विशेष अवकाश का हकदार होगा/ होगी । संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिने का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्मपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन अनधिक प्रसूति प्रमाण-पत्र (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अन्य प्रकार का कोई अवकाश आरि जारी चिकित्सा एल0टी0सी0 पैंतालीस दिन द्वारा हकदार नहीं होगा/होगी। अवकाश (जीवित बच्चों की के लिए भी हकदार होगी उपरोक्त के सिवाय किसी अर् अधिकारी अनुज्ञात नहीं होगा : त्र चिकित्सा प्रतिपूर्ति करने चिकित्सा प्रस्तुत

Now Y

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा । (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

- (ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरुप के कर्नव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा—शते के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरुप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्मवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्त को तब तक आस्थिगित रखा जाएगा जै तक कि प्रस्थात्त को तब तक आस्थिगित रखा जाएगा जं तक कि प्रस्थात्त को तब तक आस्थिगित रखा जाएगा जं विका अभ्यर्थी का प्रस्थावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्देष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का

Mens

		हकदार होगा / होगी।
		(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों
	a	जैसे एफ0 आर0—एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम
		आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में
		लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को
		कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ.
	n Pila	/ जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा ।
16	आरक्षण	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर
		अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और
		व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत
		जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षा	लागू नहीं।
18	.शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या
4415		समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और
		हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन
		नियमों के किसी / किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति
		(व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
		(प्यायताया) क प्रवंग या पद (पदा) का बाबत, ।शायल कर सकगा।

\*\*\*\*\*\*

Jones

7.9

विशेष शिक्षक (कक्षा–VI) से कक्षा–XII के लिए) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेश्क, प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

1	王	ठ	中	H	K	
	AS AS	<u> H</u>	王	SK.	40	
	F	\$po	HEZ	景	16	
	284	Ħ,	15	ALC.	24	
	16	<b>18</b>	(	급	_ _	
	इस	14	100	Ē	部	
	冲	뀱	ग्य	3	4	
云	इस	1	to	8	炬	
यह करार श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री श्री	संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम	F.	8	भार	2	
5	15	अक	PIE	묪	31,4	
K	E	F	यक्ष	Ŧ	T	
:	젊	ਰ	ਸ	क्र	3-0	
		13	1	F	Œ	
	देव	18	100	1	ब्रित	
	₫F	) <del>.</del>	वात	D	SE SE	
	R	F F	पु	1	I	
	v	3	100	6	dr.	
	Hi5	12	25	묩	5	
		10	汇	प्र	धार	
		देश	w	ब्रिन	8	
45		×	黑	=	h=	
मि		3	£	1	ig ig	
de		<u>H</u>	E	त्र	*	
₩		40	5	P	4	
सर		共	<b>P</b>	क्र	13	
8		0	18		16	
यह	i	10	गरी			
	臣	료	<u> </u>	को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम		
	नि	पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेश्क, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल	प्रदेश(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से		के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शतौँ पर सेवा करने के लिए	J,
	:	किह	F	<u>a</u>	. !	सहमति दी है:-
		b	नुद्र	आज तारीख	पक्षकार ने	40
		8	श्र	5	0	अम
		de de	प्रदे	1	र्यस	HE.

यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार रहेगा। होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में स्वयमेव से प्रारम्भ होने और .....क म की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात् (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः के रूप में यह कि प्रथम पक्षकार .....

सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। उस परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण

- प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 22,860 / प्रतिमास होगी (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी)। Si
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने 3
- होगा / होगी । संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्मपात हो जाने सहित गर्मपात बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैतालीस दिन से संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्ड़र वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए अवकाश, दस अनधिक प्रसूति अवकाश

4

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष

तक संचित कियाँ जॉ सॅंकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को

2

व्यक्ति इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

भी प्रशासनिक आधारों पर 8 संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहाँ अपेक्षित हो। 9

1

- चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरुप के कर्ताव्यों को कार्यान्वित प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरुप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रुप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है । ऐसी परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, रुप में पूर्ण करना है तो सकेगी।
- उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, मत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी। 8
- योजना बीमा सामूहिक कर्मचारी ई०पी०एफ० / जी०पी०एफ० भी लागू नहीं होगा। व्यक्ति (व्यक्तियों) नियुक्त 6

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

सानिया का उपारवाता में	
(नाम व पूरा पता) 2	(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
(नाम व पूरा पता)	
(नाम व पूरा पता)	(टिसीग पथकाय के ह्यमाध्य
2	(מאוואס לא אולאוא אואסו)
(नाम व पूरा पता)	